

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 172/2023

दायर दिनांक 11.08.2023

वादी

1. मो० कमालुदीन पुत्र सादुल जाति देशवाली निवासी गरदेज्याबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज०।

प्रतिवादीगण

1. अब्दुल सलाम पुत्र सादुल
2. रफीक पुत्र सादुल
3. मो० अयूब पुत्र सादुल
4. फातिमा पुत्री सादुल
5. हाजरा पुत्री सादुल
6. नूरजहां पुत्री सादुल
7. मो० हुसैन पुत्र आमना बानों
8. मो० असलम पुत्र आमना बानों
9. जमील अहमद पुत्र आमना बानों
10. जैबुन बानों पुत्री आमना बानों
11. आसमा बानों पुत्री आमना बानों
12. इशाअल्ला पुत्री आमना बानों
13. सलमा पुत्री आमना बानों
14. फिरोजा बानों पुत्री आमना बानों
15. रेहाना बानों पुत्री आमना बानों
16. तसलीम बानों पुत्री आमना बानों समस्त जाति देशवाली निवासीगण गरदेज्याबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज०।
17. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री मो० शरीफ शैरानी वकील वादी।
2. श्री युनुस सलीम वकील प्रतिवादीगण सं. 1 ता 14 व 16।

--: निर्णय ::--

दिनांक 10.07.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि सरहद गरदेज्या बासनी पटवार हल्का दादुबावनी, भू०अभि० नि० क्षेत्र कोलिया तहसील डीडवाना के खेत खसरा सं० 2 रकबा 3.3200 हैक्टे० बारानी 1, खसरा सं० 3 रकबा 1.0800 हैक्टे० बारानी 1, खसरा सं० 23 रकबा 0.2400 हैक्टे० बारानी 1, खसरा सं० 24 रकबा 0.3100 हैक्टे० बारानी 1, खसरा सं० 25 रकबा 0.8300 हैक्टे० एवं सरहद भवादिया पटवार हल्का दादुबासनी भू०अभि०नि० कोलिया खसरा सं० 488 रकबा 1.2500 हैक्टे० बारानी 2 वाकै की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 18.11.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: प.1(11)रीडर/2025/242 दिनांक 23.05.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान् बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जारिये पत्रांक: प.1(11)रीडर/2025/242 दिनांक 23.05.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

W/ks
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना



-:: आदेश ::-

सरहद गरदेज्या बासनी पटवार हल्का दादुबावनी, भू0अभि0 नि0 क्षेत्र कोलिया तहसील डीडवाना के खेत खसरा सं0 2 रकबा 3.3200 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 3 रकबा 1.0800 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 23 रकबा 0.2400 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 24 रकबा 0.3100 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 25 रकबा 0.8300 हैक्टे0 एवं सरहद भवादिया पटवार हल्का दादुबासनी भू0अभि0नि0 कोलिया खसरा सं0 488 रकबा 1.2500 हैक्टे0 बारानी 2 वाकै की भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: पत्रांक: प.1(11)रीडर/2025/242 दिनांक 23.05.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये प.1(11)रीडर/2025/242 दिनांक 23.05.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Weas

(विकास गण्ड अफ़िसर (S.))

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 10.07.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Weas

(विकास गण्ड अफ़िसर (S.))

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना